

अति-अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना  
बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायण  
(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in))  
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 02/2019-20  
दिनांक 22/02/2020

पत्रांक 101 / चन्द्रायण,

1. कार्य का विवरण :-

पृष्ठ सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹० में)	अग्रघन की राशि (₹० में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल / गेनुरल मोड में भुगतान)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यक्ष) (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभियुक्ति
1	सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखण्ड के डेंगराही ग्राम के कटाव से बचाव हेतु ग्राम सुरक्षात्मक कार्य। (Agenda No.- 154/299/2020)	13.00	26000.00	2500.00	15.05.2020	

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :- दिनांक 22.02.2020  
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि :- दिनांक 03.03.2020 से दिनांक 08.03.2020 के 3 बजे अपराह्न तक।  
(सिर्फ वेबसाइट - [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर)  
4. प्री बीड मीटिंग का स्थान एवं तिथि :- दिनांक 06.03.2020, 11:00 बजे मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग वीरपुर में।  
5. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक 09.03.2020 समय 3:00 बजे अपराह्न।  
केवल वेबसाइट - [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।  
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 13.03.2020 समय 3:30 बजे अपराह्न।  
केवल वेबसाइट - [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।  
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।  
केवल वेबसाइट - [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।  
8. निविदा खोलने का स्थान :- केवल वेबसाइट - [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर।  
9. निविदा की वैधता अवधि :- 120 दिन  
10. विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चन्द्रायण (सहरसा)

11. निविदा के नियम एवं शर्तों के संबंध में विशेष जानकारी वेबसाइट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।  
12. विज्ञापनदाता को बिना कारण बताये निविदा Tender Process स्थगित/विस्तारित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।  
13. पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 13589(S) पटना दिनांक 13.12.2011 के कंडिका- 4 के उप कंडिका (5) एवं (घ) के अनुसार मधेपुरा/सहरसा जिला में श्रेणी IV के अन्तर्गत निबंधित संवेदक ही इस निविदा में भाग ले सकते हैं। अधिसूचना में निहित प्रावधान के अनुसार 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रुपये) तक के कार्यों के लिए सहरसा जिला में श्रेणी IV में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकते हैं।

12. परिणाम विपत्र की विक्री निबंधित संवेदकों अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों को परिणाम विपत्र का मूल्य राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया, के पदनाम में निर्गत तथा सहरसा में देय बैंक ड्राफ्ट (जो लौटाने योग्य नहीं होगा) द्वारा जमा करने पर निर्गत किया जायेगा। निविदा प्रपत्र खरीदते समय परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कार्य की प्राक्कलित मात्रा एवं राशि में बढोतरी या घटोतरी हो सकती है। परिणाम विपत्र का मूल्य निर्गत परिणाम विपत्र के अनुकूल संशोधित समझा जायेगा। अग्रघन विपत्र के अनुकूल जमा करना होगा।  
13. अग्रघन के रूप में बिहार लोक निर्माण विभाग सहित/वित्त नियमावली के अनुरूप किसी भी रूप में मान्य होगा, उदाहरणार्थ, निम्नलिखित प्रतिभूतियों स्वीकार की जायेगी :-  
(क) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का फिक्साड डीपोजिट, जो निविदा प्राप्ति की तिथि से छः माह आगे तक देय हो।  
(ख) एक दो, या तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक।

- (ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, आठवां निर्गम।  
 (घ) पंच वषीय राष्ट्रीय विकास बोर्ड या राज्य विकास त्तन प्रमाण-पत्र।  
 क्रमांक (क) से (ग) में अंकित प्रतिगुणितों कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कोपरिया के पदनाम से विधिवत अद्यतन प्रतिष्ठित होना अनिवार्य है।
14. निविदादाता को अद्यतन के साथ-साथ अद्यतन निवेदन प्रमाण-पत्र प्री-क्वालिफिकेशन बीड वाले लिफाफा में देना होगा।
  15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
  16. कार्य की किसी या सभी निविदा को स्वीकृत करने या रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
  17. कार्य का एकरारनामा पी डब्ल्यू डी फार्म-2 (कडिका 23 छोड़कर) पर किया जायेगा।
  18. निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का शापाक-प्र0-6/दोवि0नियम-03-08/2006(अप)-448(S) दिनांक-16.01.2020 अनुमान्य होगा।
  19. समान दर अंकित करने वाले निविदाकारों की संख्या एक से अधिक होने की स्थिति में निविदा का निष्पादन पुनरीक्षित पी डब्ल्यू डी के नियम 163 (लीटरी के आधार पर) के अनुरूप किया जायेगा।
  20. निविदादाताओं को दो मुहर बन्द लिफाफा नम्बर 1 एवं 2 जिसमें क्रमशः प्री-क्वालिफाईंग बीड एवं प्राईस बीड लिखा रहेगा, को एक बन्द लिफाफा में समर्पित करना होगा, जिस पर संवेदक का पूरा पता एवं सम्पर्क नम्बर अंकित रहेगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 5 में अंकित कार्यालयों द्वारा मात्रा प्री-क्वालिफिकेशन बीड खोला जायेगा। प्री-क्वालिफाई करने वाले निविदादाताओं के दूसरे लिफाफे जिसमें प्राईस बीड रहेगा, को बाद में सक्षम पदाधिकारी द्वारा ही जाने वाली सूचनानुसार ही खोली जायेगी। प्री-क्वालिफिकेशन बीड में अयोग्य पाये जाने वाले संवेदकों का प्राईस बीड बिना खोले ही उन्हें लौटा दिया जायेगा।
  21. विभागीय निदेशानुसार ससमय कार्य पूरा करना होगा एवं विभागीय निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
  22. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान होगा, इसके लिए दावा मान्य नहीं होगा।
  23. कार्य की विशेष जानकारी अघोहरताक्षरी/अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध अंचल, सहरसा/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निरसरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
  24. निविदा प्राप्ति की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर निविदा प्राप्त की जायेगी।
  25. विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/परिपत्र के अनुसार निविदा निष्पादन/कार्य के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जायेगी।
  26. निविदा के साथ संलग्न किये गये कागजातों की सत्यता के संबंध में निम्नलिखित घोषणा का शपथ-पत्र मूल में संलग्न करना आवश्यक होगा।

"I, the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing." यह शपथ पत्र प्रत्येक कार्य-युप के लिए अलग-अलग होगा, जो अद्यतन होगा एवं तकनिकी बीड के साथ मूल में जमा करना होगा।

27. कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा के पूर्व अद्यतन विक्री कर सफाया प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
28. अभियंता प्रमुख (ज0), जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक 988 दिनांक 28.10.2009. के अनुसार संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% सेस की कटौती की जाएगी एवं रॉयल्टी तथा मालिकाना फीस मद में विभागीय शापाक-599 दिनांक-06.12.2019 का अनुपालन किया जाएगा। साथ ही संवेदक का जी0एस0टी0 निबंधन अनिवार्य होगा।
29. तकनिकी बीड में सफल होने के लिए न्यूनतम शर्त निम्नवत है जिससे संबंधित कागजात प्री-क्वालिफिकेशन वाले बीड में देना होगा :-  
 I. क्रमांक 11 के अनुसार निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेने का हकदार होंगे।  
 II. पर्याप्त अग्रधन की राशि क्रमांक 13 के स्वरूप में।  
 III. शपथ-पत्र क्रमांक 26 एवं 31 से 33 तक के स्वरूप में।
30. संवेदक निविदा देने के पूर्व स्थल की स्थितियों की जानकारी पूर्णतः प्राप्त कर लेंगे। गविष्य में इस क्रम में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
31. बाढ़ 2019 पूर्व कटाव निरोधक कार्यों/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यस्थल पर बाढ़ अवधि 2020 में कटाव की स्थिति को नियंत्रण करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी।
32. कार्य स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों वालू, फिल्टर गेटरियल (ई0सी0 वैग, जियो वैग, इत्यादि) में वालू भरने तथा इसके भण्डारण किये जाने कि जिम्मेवारी उक्त Reach में कटाव निरोधक कार्य कराने वाले संवेदक की होगी।
33. निविदा दाता को इस आपय का एक शपथ पत्र देना होगा जो प्रत्येक युप के लिये अलग - अलग एवं निविदा प्रकाशन कि तिथि के बाद का होगा :-  
 संयुक्त सचिव, अभियंत्रण जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक- 2175 दिनांक-06.06.2017 के अनुसार कटाव निरोधक कार्य करने वाले संवेदकों को -

(i) बाढ़-2020 के पूर्व कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यस्थलों पर बाढ़ अवधि-2020 में कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी होगी।

(ii) बाढ़-2020 अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों, यथा-वालू, फिल्टर गेटरियल/ई0सी0वैग, जी0ओ0 वैग, मेगा

जी0ओ0 बैग इत्यादि में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त **Reach** में कटाव निरोधक कार्य के संवेदक की होगी।

(iii) निविदा समर्पित करते समय संवेदक द्वारा उपरोक्त कंडिका-36 (i) एवं (ii) सम्बन्ध में निम्नांकित शपथ पत्र प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग गूल में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा- शपथ पत्र मेरे द्वारा कराये गये कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यस्थलों पर बाढ़ अवधि-2020 में कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी। (ii) बाढ़ अवधि-2020 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता के निदेशानुसार उक्त **Reach** के विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सागरियों, यथा-बालू, फिल्टर गेटेरियल, (ई0सी0 बैग, जी0ओ0 बैग, मेगा जी0ओ0 बैग इत्यादि में) बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी मेरी होगी।

  
कार्यपालक अभियन्ता  
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल,  
चन्द्रायण

पत्रांक 101 / चन्द्रायण,

दिनांक 22 / 02 / 2020

प्रतिलिपि :- निविदा सूचना की दस अतिरिक्त प्रतियाँ एवं पूर्ण निविदा की सी0डी0 के साथ सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि राज्य स्तरीय किसी दो दैनिक समाचार पत्रों में वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

  
कार्यपालक अभियन्ता  
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल,  
चन्द्रायण

पत्रांक 101 / चन्द्रायण,

दिनांक 22 / 02 / 2020

प्रतिलिपि :- अभियन्ता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, सिंचाई भवन, पटना/मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर/अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वी तटबंध अंचल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा/सभी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, इस प्रमण्डलाधीन को सूचनार्थ समर्पित।

  
22/02/2020  
कार्यपालक अभियन्ता  
पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल,  
चन्द्रायण